

293

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....23 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 11/02/2026

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, तृतीय जिला न्यायाधीश, रीवा की न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक RCA-02/2024 महेन्द्र तिवारी वगै० वि. नवीन कुमार तिवारी को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा MISC. Appeal No. 6747 of 2024 में दिनांक 07.01.2026 को पारित आदेश के द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निर्धारित समयावधि में अंतरित प्रकरण को निराकरण करने के निर्देश के साथ श्री शरद कुमार गुप्ता सप्तम जिला न्यायाधीश, रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

SEL  
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र०.....759 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 11/02/2026

प्रतिलिपि:-

1. तृतीय जिला न्यायाधीश, रीवा।  
की ओर मूल प्रकरण क्र. RCS A 272/2016 श्रीमती लक्ष्मी देवी वगै० विरु.नवीन कुमार तिवारी एवं अपील प्रकरण क्र. RCA-02/2024 महेन्द्र तिवारी वगै० वि. नवीन कुमार तिवारी मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
2. सप्तम जिला न्यायाधीश, रीवा।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
5. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)